राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 306/2017
ओम प्रकाश शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. सहायक निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा।
4. पंचायत समिति दौसा जरिये ब्लॉक विकास अधिकारी, दौसा।
5. ब्लॉक विकास अधिकारी, पंचायत समिति दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 08.07.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शाह, वरिष्ठ अभिभाषक एवं श्री कमलेश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलाथी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी पूर्व में सिंचाई विभाग में कार्यरत था। बाद में अपीलार्थी को पंचायती राज विभाग में दिनांक 16.11.1989 को समायोजित किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पे–स्केल रिवाईज की गई, जिसे बाद में निरस्त किया गया। इसके आधार पर अपीलार्थी से वसुली किये जाने के आदेश पारित किये गये। अपीलार्थी ने वसुली के संबंध में आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 6351/1997 के द्वारा चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की रिट को आदेश दिनांक 09.11.2001 के द्वारा निस्तारित किया, जिसमें निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :–

> "Learned counsel for the respondents does not dispute this factual position. The order dated 17.07.1997 even if it is taken to be an administrative one it results in reducing of the pay as well as the recovery of the amount alleged to have been paid excess to the appellant as salary. Looking to this nature of the order and consequences ensure as a result thereof. I am satisfied that the respondent no. 4 has no justification whatsoever to pass the same without following the principles of natural justice i.e. to give a notice and opportunity of hearing to the appellant. Only on this

short point all these four petitions succeed and accordingly the same are allowed and the order impugned in writ petition nos. 6354/97, 6351/97, 6353/97 dated 17.7.97 and order impugned in writ petition no. 6352/97 dated 13.10.97 are quashed and set aside.

Quashing and setting aside of these orders will not come in the way of the respondent no.4 to pass the fresh order after giving the notice and opportunity of hearing to the appellants. So far as other grievances made by the appellants in these petitions, it is open to them to file a detailed representation to the respondents and the respondents shall decide the same within three months from the date of receipt thereof. Where the grievances are not acceptable, a reasoned order be passed and copy of the same be sent to the appellants by registered post AD."

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला परिषद ने आदेश दिनांक 04.06.2002 पारित किया, जिसमें जिला परिषद में पूर्व में दी गई सेवाओं को सलेक्शन स्केल के लाभ के लिए जोड़े जाने का लाभ दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जिला परिषद दौसा द्वारा नये सिरे से वसुली के आदेश दिनांक 15.02.2011 किया गया, जिसमें अपीलार्थी को पूर्व में देय चयनित वेतनमान की राशि को अधिक राशि मानते हुए राशि 766169/– रुपये वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। बिना सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलार्थी से वसुली की कार्यवाही की जा रही है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अधिवक्ता का कथन है कि जिला परिषद दौसा के आदेश क्रमांक 1336–40 दिनांक 02.08.2005 के द्वारा प्रार्थी सेवानिवृत कार्मिक को 9/18/27 वर्ष का चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया, जिसके संबंध मे सहायक निदेशक पेंशन विभाग जयपुर के पत्रांक 5614 जी दिनांक 18.11.2010 के द्वारा आक्षेप लगाए थे कि प्रार्थी के संबंध में 25.01.1992 को स्वीकृत किये गये चयनित वेतनमान की पुनः समीक्षा करे एवं कर्मचारी जिस संवर्ग में रहता है, उसकी सेवा अवधि अनुसार चयनित वेतनमान की देयता होती है। प्रकरण मे संवर्ग बदला है चुंकि प्रार्थी पुर्व मे सिंचाई विभाग मे मुंशी ग्रेड–प्रथम पद पर कार्यरत था तथा 27.10.1989 को पंचायती राज विभाग मे ग्राम सेवक पद पर कार्यभार ग्रहण किया। इसलिए जिला परिषद के आदेश 04.06.2002 के अनुसार प्रार्थी से संबंधित वेतनमान संशोधित किया गया जो कि पुर्णतया विधिक है। प्रार्थी के संबंध मे पेंशन विभाग के आक्षेप और उनके

निर्देशानुसार स्वीकृत चयनित वेतनमान की समीक्षा किये जाने पर पाया कि अपीलार्थी को 9,18,27 वर्षीय चयनित वेतनमान स्वीकृत किया गया वह गलत है। इसलिए उसे निरस्त किया जाकर दिनांक 27.10.1998 को ग्राम सेवक पद पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देय किये जाने के आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी ने 27.10.1998 से पुर्व पद के अनुसार पुर्व मे चयनित वेतनमान और पदौन्नति के लाभ आहरित किये, उसके संबध मे दिनांक 25.01.1992 से 31.07.2010 तक अधिक भुगान राशि अन्तर विवरण पत्र राशि 766169/– रूपये वसूली की कार्यवाही की गई, जो विधि सम्मत है। उक्त वसुली राशी ता दिनांक तक बकाया चल रही है।

4. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने का जो आदेश दिनांक 15.02.2011 को जारी किया गया है, उसमें कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी से वसुली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के वेतनमान को संशोधित किया जाना उचित नहीं था। अपीलार्थी से रिकवरी नहीं की जा सकती थी। जबकि प्रत्यर्थी विभाग के अनुसार अपीलार्थी का पूर्व में मुंशी ग्रेड–प्रथम होना और बाद में पंचायतीराज विभाग में ग्राम सेवक के पद पर वापस चयनित वेतनमान संशोधित होना पूर्णतः विधिक है। हम यह पाते है कि अपीलार्थी से वसूली किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
5. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए हम इस अपील में यह आदेश देना उचित पाते हैं कि अपीलार्थी अपनी आपत्तियां दर्ज करते हुए इस आदेश के पारित होने के 4 सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।
6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यावेदन के अंतिम निस्तारण तक अपीलार्थी से वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की जाए। इस आदेश के साथ इस अपील का निस्तारण किया जाता है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)